प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 3003/2016

राजेश कुमार देशमुख पिता पी.एस देशमुख, लगभग 27 वर्ष ,निवासी कांग्रेस भवन, बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के द्वारा , विधि तथा विधानमंडल, विधि विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नई रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बोदरी, चकरभाटा, जिला बिलासपुर,छत्तीसगढ़

3–जिला तथा सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतु:--अधिवक्ता श्री राजेश कुमार केशरवानी की ओर से अधिवक्ता सुश्री श्रीजीता केशरवानी

प्रस्तुतराज्य/उत्तरवादी सं. 1 हेतु :--श्री रतन पुस्टी, शासकिय अधिवक्ता।

एकल पीठ:---माननीय श्री संजय एस. अग्रवाल, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

26.11.2024

1. इस याचिका के आधार पर, याचिकाकर्ता राजेश कुमार देशमुख उत्तरवादी क्रमांक 3– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला बालोद द्वारा पारित आदेश (क्रमांक 101/दो–11–2/13) दिनांक 22/06/2016 (अनुलग्नक पी–1) की वैधता और औचित्य पर प्रश्न उठा रहे हैं, जिसके तहत 27/04/2016 से 12/05/2016 तक की अवधि के लिए सेवा से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, साथ ही मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के आधार पर भी उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

2. इस याचिका पर निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को शुरू में उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा अपने आदेश दिनांक 01/05/2014 (अनुलग्नक पी–2) के तहत चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद उसे आदेश दिनांक 07/04/2016 (अनुलग्नक पी–5) के तहत दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रूप से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चपरासी) के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार अपनी नियुक्ति के बाद उसने 13/04/2016 को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें 27/04/2016 से 07/05/2016 तक की अवधि के लिए अर्जित अवकाश दिए जाने की मांग की गई थी, क्योंकि उसका विवाह 28/04/2016 से 29/04/2016 तक होना था।हालाँकि, उसका आवेदन उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा दायर/बंद कर दिया गया था क्योंकि वह कथित अर्जित अवकाश पाने का हकदार नहीं था और उसके आवेदन को इस तरह खारिज करते हुए, दिनांक 20/04/2016 के आदेश (अनुलग्नक आर/3–1) के तहत, उसे उक्त उद्देश्य के लिए अलग से तीन दिनों के अवकाश के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता 24/04/2016 से 12/05/2016 तक 20 दिनों की अवधि के लिए अपने कर्तव्य से अनुपस्थित था, इसलिए 27/05/2016 को उसे कारण बताओ नोटिस (प्रत्यक्ष पी–9) जारी किया गया था और इसके जवाब में, उसने अपना जवाब (प्रत्यक्ष पी–10) प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि चूंकि उसे पता नहीं था कि वह अर्जित अवकाश पाने का हकदार है और न ही उसे अपने आवेदन की अस्वीकृति के बारे में पता था, इसलिए, वह छुट्टी पर चला गया है और उसने क्षमा मांगी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तथापि, उनकी सेवाएं उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा दिनांक 22/06/2016 के आक्षेपित आदेश के तहत उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति तथा मुख्यालय छोड़ने के कारण समाप्त कर दी गई है, जो उनकी घोर उपेक्षा है, क्योंकि उनका कथित कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के साथ पठित सी.जी. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 8(4) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के विपरीत है, साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी/3– 22/93/3/1, दिनांक 30/08/1993 के निर्देशों के भी विपरीत है।

3. उपरोक्त आदेश का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि कथित बर्खास्तगी का आदेश कलंकपूर्ण प्रकृति का है, क्योंकि इसे बिना किसी विभागीय जांच के पारित किया गया है, इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए। समर्थन में, उन्होंने विजयकुमारन सी पी सी बनाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, 2020 (12) एससीसी 426 में रिपोर्ट किया गया।

4. दूसरी ओर, उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि चूंकि याचिकाकर्ता 20 दिनों की अवधि के लिए अनधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित था और मुख्यालय से अनुपस्थित रहा, इस तरह, उसने घोर उपेक्षा की है और इसलिए, उसकी सेवाओं को समाप्त करने वाला आदेश किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है और, इसलिए, याचिका खारिज करने योग्य है।

5. मैंने पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता से बात की है और अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

6. इस याचिका में निर्धारण हेतु जो मुख्य प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 22/06/2016 (अनुलग्नक पी–1) के सेवा समाप्ति आदेश को सरल या पूर्व दृष्टया कलंकपूर्ण सेवा समाप्ति आदेश माना जा सकता है?

7. उपर्युक्त प्रश्न का पता लगाने के लिए, याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने वाले आदेश की जांच करना आवश्यक है, जो शब्दशः निम्नानुसार है:––––––––

" कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद (छ.ग.)

।। आदेश ।।

क्रमांक 101/दो-11-2/13 बालोद, दिनांक 22.06.2016

इस स्थापना में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री राजेश कुमार देशमुख, भृत्य द्वारा दिये गये निर्देश का पालन नहीं करने तथा ढिढतापूर्वक बिना अवकाश स्वीकृति के 20 दिवस तक अपने पदीय कर्त्तव्य से स्वेच्छया पूर्वक अनुपस्थित रहने एवं एक शासकीय सेवक होने के नाते मुख्यालय में निवास न कर दल्लीराजहरा से आना जाना किया जाना कबूल किया है, जो सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 एवं छ. ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961 नियम-8 (4) तथा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी/3-22/93/3/एक, दिनांक 30.08.1993 के विपरीत होने से कर्मचारी के द्वारा किये गयें कृत्य अपने पदीय कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता एवं घोर लापरवाही का घोतक है, जो परिवीक्षाधीन कर्मचारी होने से वह भविष्य में एक उपयुक्त कर्मचारी सिद्ध नहीं हो सकेगा ऐसी स्थिति में उसकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बालोद (छ.ग.)

पृष्ठां. क्रमांक 1216/ दो- यथाआदेश प्रतिलिपि-

1.प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, बालोद की ओर सूचनार्थ प्रषित।

2.श्री राजेश कुमार देशमुख, भृत्य की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3. लेखापाल, कार्यालय अनुभाग, बालोद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालोद (छ.ग.)"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उपरोक्त आदेश का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि याचिकाकर्ता की सेवाएं उत्तरवादी क्रमांक 3– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला बालोद द्वारा यह मानते हुए समाप्त कर दी गई हैं कि उसने अपने कर्तव्य के निर्वहन में दो कारणों से घोर लापरवाही बरती है, पहला, वह बिना छुट्टी लिए 20 दिनों की अवधि तक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित था और दूसरा, कथित कारण बताओ नोटिस के जवाब में उसने स्वयं स्वीकार किया है कि वह मुख्यालय, अर्थात बालोद में नहीं रहता था और इसके बजाय दल्लीराजहरा से मुख्यालय आता था।

9. हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 27/05/2016 को जारी कारण बताओ नोटिस (एक्स. पी–9) यह दर्शाता है कि यह केवल तब जारी किया गया था जब याचिकाकर्ता को अनधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पाया गया था।हालांकि, इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि वह मुख्यालय में नहीं रह रहा था। जैसा भी हो, याचिकाकर्ता ने कथित कारण बताओ नोटिस के जवाब में कथित तथ्य को स्पष्ट रूप से नकार दिया है, फिर भी यह आदेश पारित किया गया है कि वह मुख्यालय में नहीं रह रहा था और अनधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित था। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि बिना किसी जांच के याचिकाकर्ता को अपने कर्तव्य के पालन में घोर लापरवाही का दोषी ठहराया गया है। इसलिए, आक्षेपित आदेश में दिए गए तर्क को बर्खास्तगी के सरल अर्थ में समझा जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना भी अपने कर्तव्य के पालन में घोर लापरवाही कैसे मानी जा सकती है?यदि संबंधित उत्तरवादी प्राधिकारी की कार्यवाही को यथावत रखा जाता है, तो इससे उसके भविष्य की संभावनाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में, कोई भी नियोक्ता उसकी बर्खास्तगी के आदेश पर विचार करने के बाद उसे किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं देगा।अत:, इस आक्षेपित आदेश में उल्लिखित इस तरह का निष्कर्ष निश्चित रूप से उसके भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित करेगा और इस तरह, इसे प्रकृति में कलंकपूर्ण माना जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उपर्युक्त अवलोकन विजयकुमारन सीपीवी (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों द्वारा पुष्ट होता है, जिसमें कंडिका 8 में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:–––––––

"..... इस तरह का संदर्भ अनिवार्य रूप से पदधारी की भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है और यदि ऐसा है, तो आदेश को समाप्ति के स्पष्ट रूप से कलंकित आदेश के रूप में समझा जाना चाहिए। ....."

11. उपरोक्त सिद्धांतों को इस मामले में लागू करते हुए, मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने वाला आदेश स्पष्ट रूप से कलंकित है, क्योंकि इसे नियमित जांच के अधीन किए बिना पारित किया गया है।प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 22.06.2016 (अनुलग्नक पी–1) का आदेश, इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

12. जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि क्या याचिकाकर्ता को पिछला वेतन और अन्य लाभ प्रदान किए जाने चाहिए, तथापि, प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल, हैदराबाद और अन्य बनाम बी करुणाकर और अन्य, (1993) 4 एससीसी, 727 में रिपोर्ट किए गए मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के तहत इस पहलू पर

संबंधित प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा, जैसा कि उक्त मामले में, प्रश्न यह है कि यदि आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद न्यायालय को दंड के आदेश को अपास्त करना था, तो न्यायालय द्वारा पारित किया जाने वाला आकस्मिक आदेश क्या होना चाहिए, इस पर विचार किया गया और इस प्रकार, कंडिका 31 में, जो इस उद्देश्य के लिए सुसंगत है, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया जाता है:-----

" 3 1.इसलिए, उन सभी मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषी कर्मचारी को जांच अधिकारी की रिपोर्ट नहीं दी जाती है, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को पीड़ित कर्मचारी को रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करानी चाहिए, यदि उसने न्यायालय/न्यायाधिकरण में आने से पहले इसे प्राप्त नहीं किया है और कर्मचारी को यह दिखाने का अवसर देना चाहिए कि रिपोर्ट न दिए जाने के कारण उसका मामला किस प्रकार पक्षपातपूर्ण था। यदि पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय/न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि रिपोर्ट न दिए जाने से अंतिम निष्कर्षों और दिये गये दंड में कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो न्यायालय/न्यायाधिकरण को दंड के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।न्यायालय/न्यायाधिकरण को इस आधार पर दंड के आदेश को यांत्रिक रूप से अपास्त नहीं करना चाहिए कि रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी, जैसा कि वर्तमान में दुर्भाग्यवश किया जा रहा है। न्यायालयों को अल्प मार्ग अपनाने से बचना चाहिए। चूंकि न्यायालय/न्यायाधिकरण ही इस मामले में अपनी न्यायिक बुद्धि का प्रयोग करते है तथा दंड के आदेश को अपास्त करने या न करने के लिए अपने कारण बताएंगे (न कि कोई आंतरिक अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकरण), इसलिए न तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा और न ही उचित अवसर से वंचित किया जाएगा। केवल तभी न्यायालय/न्यायाधिकरण को दंड के आदेश को अपास्त करना चाहिए जब उन्हें लगे कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने से मामले के परिणाम में कोई अंतर पड़ता है।जहां उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करने के बाद, न्यायालय/अधिकरण दंड के आदेश को रद्द कर देता है, वहां उचित राहत यह दी जानी चाहिए कि कर्मचारी को बहाल करने का निर्देश दिया जाए, साथ ही प्राधिकारी/प्रबंधन को जांच के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी जाए, कर्मचारी को निलंबित करके और उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चरण से जांच जारी रखी जाए। यह प्रश्न कि क्या कर्मचारी अपनी बर्खास्तगी की तारीख से लेकर उसकी बहाली की तारीख तक पिछले वेतन और अन्य लाभों का हकदार होगा, यदि अंततः आदेश दिया जाता है, तो इस प्रश्न को कार्यवाही की परिणति के बाद और अंतिम परिणाम के आधार पर विधि के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।यदि कर्मचारी नई जांच में सफल होता है और उसे बहाल करने का निर्देश दिया जाता है, तो प्राधिकारी को विधि के अनुसार यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह बर्खास्तगी दिनांक से लेकर पुनः स्थापित तक की अवधि को किस प्रकार से मानेगा और उसे क्या लाभ, यदि कोई हो और लाभों की सीमा, का हकदार होगा।रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता के कारण जांच को रद्द करने के परिणामस्वरूप की गई बहाली को, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चरण से नई जांच आयोजित करने के उद्देश्य से पुनः स्थापित के रूप में माना जाना चाहिए, न कि उससे आगे, जहां ऐसी नई जांच आयोजित की जाती है।विधि में भी यही उचित स्थिति होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपर्युक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में, मैं तदनुसार यह मानता हूं कि भले ही उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 22/06/2016 (अनुलग्नक पी–1) का बर्खास्तगी आदेश रद्द किया जाता है और जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को पुनः स्थापित कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही, बकाया वेतन देने का अधिकार एक ऐसा मामला है, जो संबंधित प्राधिकारी, अर्थात उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा की जाने वाली भविष्य की कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगा।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई नई जांच नहीं की जाती है, तो याचिकाकर्ता अपनी सेवा समाप्ति की तिथि से लेकर चपरासी के पद पर पुनः नियुक्ति के इस आदेश के पारित होने की तिथि तक बकाया वेतन का 50% पाने का हकदार होगा।

15. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका को स्वीकृति दी जाती है और/या उसका निराकरण किया जाता है।

इस पर कोई वाद व्यय देय नही होगा।

सही/–

(संजय एस. अग्रवाल)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक*

प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur